

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय श्रेणी पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2709114

email: cmsmsa2018@gmail.com

फैक्स: 0141-2701822

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति/दिशा-निर्देश/2019-20/ 5390

दिनांक : 31/9/19

दिशा-निर्देश (सत्र 2019-20)

एसएमसी/एसडीएमसी की मासिक बैठक के विवरण का पोर्टल पर अद्यतनीकरण

प्रस्तावना- राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 52539 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों व 14102 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय 500 रु एसएमसी/एसडीएमसी की मासिक बैठक के विवरण को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कुल 66,641 विद्यालयों हेतु निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गई है :-

क्र. सं.	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	यूनिट कोस्ट (वार्षिक)	स्वीकृत कुल राशि (लाख में)
1	प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय	52539	500 रु प्रति विद्यालय	262.695
2	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय	14102	500 रु प्रति विद्यालय	70.510
	कुल	66641		333.205

प्रत्येक राजकीय विद्यालय में एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक प्रतिमाह अमावस्या को आयोजित होगी जिसके विवरण को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निर्धारित वार्षिक यूनिट कोस्ट 500/- रु से अधिक किसी भी स्थिति में खर्च नहीं किया जाएगा।

बैठक आयोजन के पश्चात् अगले तीन दिवस में पोर्टल पर विवरण अपलोड कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः संस्थाप्रधान की रहेगी तथा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र

शिक्षा द्वारा इसका सतत पर्यवेक्षण करते हुए इसकी रिपोर्ट निम्नलिखित प्रारूप में संघारित एवं पोर्टल पर अपलोड की जावेगी :-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	ब्लॉक का नाम	आयोजित बैठक दिनांक	उपरिथत सदस्य	बैठक कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1					
2					

संलग्न- जिलावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य

Ans
(डॉ. एन. के. गुप्ता)

राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति/दिशा-निर्देश/2019-20/ 5390 दिनांक : 31/9/19
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निजी सहायक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. रक्षित पत्रावली।

Emil
31/9/19
(हरभान मीणा)

अति० राज्य परियोजना निदेशक